208A

संख्या– 304 / III(3) / 2013–04(एन0एच0) / 2012 टी0सी0

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 13 मई 2013

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–22 / 32 बजट (सामान्य) / 2013–14, दिनांक 04.04.2013 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या–264 / III(3) / 13–03(एस0पी0ए0) / 13 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक 5054 में विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 12000.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों हेतु प्रथम चरण में धनराशि ₹ 6000.00 लाख (₹ साठ करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आंवटन कर सूचना 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुमोदित लागत के विपरीत अधिक धनराशि किसी भी स्थिति में आहरित कर उपयोग न की जाय। अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष का ही माना जायेगा।

2– योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कार्य हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

3– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों के निर्माण पर ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करके निर्धारित समयान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन / भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनके व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय प्रगति के मानकों एवं लक्ष्य के अनुरूप इस धनराशि का उपभोग भी चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– प्रथम किस्त की धनराशि का पूर्ण उपयोग करते हुए वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही द्वितीय किस्त/अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7– उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–252/III(3)/2011–901(ए0डी0बी0)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं समय–समय पर निर्गत नियम/शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्य कराया जाय।

8– शासनादेश संख्या–284/XXXVII(1)/2013, दिनांक 30.03.2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–05 सड़कें–800 अन्य व्यय–02 विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत सड़कें/सेतु का निर्माण–24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10– उक्त स्वीकृत ₹ 6000.00 लाख (₹ साठ करोड़ मात्र) का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई0डी0सं0–S1305220158 दिनांक: 13.05.2013 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। तद्नुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–59/XXVII(2)/2013, दिनांक 13 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः 304 (1)/III(3)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. शोध अधिकारी, योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य अभियंता स्तर–2, गढवाल/कुमायूं क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।